

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश  
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ का शिकार करने वाले संगठित गिरोह के सभी 09  
आरोपियों को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नर्मदापुरम द्वारा सजा सुनाई

प्रेस विज्ञप्ति (75/25, दिनांक 19.11.2025)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यजीव) के निर्देशन में दिनांक 03.12.2018 को मुखबिर की सूचना के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश, मुख्यालय भोपाल एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई भोपाल (पूर्व में नर्मदापुरम) का एक दल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के दल का सहयोग करने हेतु रवाना हुआ।

उक्त एसटीएसएफ एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संयुक्त दल द्वारा राजस्व ग्राम कामती में बालिका छात्रावास के पास जामन सिंह बट्टी के खेत में बने टप्पर के पास धनवर्षा हेतु बाघ की खाल एवं 3 नग मूँछ के बाल के साथ पूजन पाठ करते हुये हेमंत कुमार उर्फ बब्लू बट्टी, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, चमन सिंह को पकड़ा गया। एसटीएसएफ एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही कर वन परिक्षेत्र अधिकारी बागड़ा बफर के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21065/07 दिनांक 03.12.2018 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पूछताछ में हेमन्त उर्फ बब्लू बट्टी के द्वारा बताया गया कि उसके घर के पूजा वाले स्थान पर बाघ के 03 पंजे कटे-पिटे 12 नग नाखून सहित रखे हैं, जिसे हेमन्त उर्फ बब्लू बट्टी के द्वारा दिनांक 04.12.2018 को जप्ती कराई गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 04.12.2018 को माननीय न्यायालय में पेश कर तीन दिन का फॉरेस्ट रिमांड लिया गया। अग्रिम विवेचना में अन्य 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम का सहयोग करते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों द्वारा माननीय न्यायालय नर्मदापुरम में सफल अभियोजन की कार्यवाही की गई, जिससे दिनांक 12/11/2025 को माननीय न्यायालय नर्मदापुरम द्वारा निर्णय में अभियुक्तगण ने दिनांक 18.12.2018 या उसके पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के उल्लंघन में वन्यप्राणी बाघ का शिकार किया एवं उक्त नियम की धारा 49 बी के उल्लंघन में ग्राम कंडी, प्राणी वस्तु, ट्राफी को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा। प्रकरण की परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को अपराधी परिवीधा विधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः समस्त परिस्थिति एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुये सभी 09 आरोपियों को दोषी मानते हुए 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000- 25000 के जुर्माने से दंडित किया गया। उक्त निर्णय शासन हित में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम एवं स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा संयुक्त एवं प्रभावी कार्यवाही के उपरांत ही यह सफलता हासिल हो पाई।

अधिकृत अधिकारी  
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)  
(कक्ष- एसटीएसएफ)  
मध्यप्रदेश, भोपाल